



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232956
CG-DL-E-28012022-232956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/ माघ 8, 1943

No. 353]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022

का. आ. 361(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2864(अ), दिनांकित

01 सितंबर, 2017 के द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 709ई के किमी. 99.000 से किमी. 114.375 (राय मलिकपुर (राजस्थान/हरियाणा सीमा) – नारनौल – मोहिन्दरगढ़ - चरखी दादरी – भिवानी – खरक) खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग – 148बी के भिवानी बाइपास के किमी. 125.920 से किमी. 135.141 तक को हरियाणा राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 709ई (मौजूदा किमी 99.00 से किमी. 114.450) के डिजाइन किमी. 99.000 से किमी. 114.375 तक के राय मलिकपुर (राजस्थान/हरियाणा सीमा) – नारनौल – मोहिन्दरगढ़ - चरखी दादरी – भिवानी – खरक खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग – 148बी (मौजूदा किमी 114.450 (रारा-709ई) से किमी. 100.000 (रारा-148बी) के भिवानी बाइपास के डिजाइन किमी. 125.920 से किमी. 135.141 तक 15.375 किमी. की निवल सड़क खंड लंबाई और 60 मीटर [0.337 किमी की लंबाई वाली) से अधिक की

लंबाई वाली संरचना के लिए 3.37 किमी. की समतुल्य लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट दर के 100% पर तथा दस करोड़ रु. या उससे अधिक लागत वाले 8.884 किमी. लंबाई के बाइपास के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के डेढ़ गुना पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
हरियाणा के भिवानी जिले में बामला गांव के निकट डिजाइन किमी 110.860 (मौजूदा चैनेज किमी 110.820) पर	15.375 [>60मी संरचना की लंबाई और 10 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाले बाइपास को छोड़कर]	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3

पथकर प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान	बाइपास का नाम	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है		दर, जिस पर फीस संदेय है
		लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रु.)	
हरियाणा के भिवानी जिले में बामला गांव के निकट डिजाइन किमी 110.860 (मौजूदा चैनेज किमी 110.820) पर	भिवानी बाइपास	8.884	128.95	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
हरियाणा के भिवानी जिले में बामला गांव के निकट डिजाइन किमी 110.860 (मौजूदा चैनेज किमी 110.820) पर	0.337 किमी	3.37 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का व्यौरा निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
1	129.503	129.590	आरओबी	0.087
2	129.730	129.980	बड़ा पुल	0.250
जोड़				0.337

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2021-22 के लिए 285.00 रु. (दो सौ पिचासी रुपए मात्र) है और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 247.25 करोड़ रु. है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/1470/2020/एचआर/जोन-II]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27 the January, 2022

S.O. No.361.(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2864 (E) dated 01 Sept., 2017 issued under section 05 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from km 99.000 to km 114.375 (Rai Malikpur (Rajasthan / Haryana border) – Narnaul- Mohindergarh- Charkhi Dadri- Bhiwani – Kharak) Section of National Highway No. 709E and Bhiwani Bypass from km. 125.920 to km 135.141 Section of NH- 148B in the State of Haryana to the State Government of Haryana;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 15.375 km and for equivalent length of 3.37 km for structure having length more than 60m (Structure length of 0.337 Km) and at one and half times of the base rate for bypass having length of 8.884 Km costing rupees ten crore or more on type of vehicle specified in column (1) of table 1 below of Rai Malikpur (Rajasthan / Haryana border) – Narnaul- Mohindergarh- Charkhi Dadri- Bhiwani – Kharak) Section from Design km 99.000 to km 114.375 of National Highway 709 E (Existing Km 99.00 to Km 114.450) and Bhiwani Bypass from Design km 125.920 to km 135.141 of National Highway 148 B (Existing Km 114.450 (NH-709E) to Km 100.000 (NH-148B)) in the State of Haryana and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table 1

Type of Vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table – 2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km. 110.860 (Existing Ch. Km 110.820) near Bamla village in Bhiwani district of Haryana	15.375 KM (excluding length of structure > 60 mtr. and Bypass costing more than Rs. 10 Cr.)	100% of the base rates mentioned in Table- 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table- 3				
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rates at which fee is payable
		Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km. 110.860 (Existing Ch. Km 110.820) near Bamla village in Bhiwani district of Haryana	Bhiwani Bypass	8.884	128.95	150% of the base rates mentioned in Table- 1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table - 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km. 110.860 (Existing Ch. Km 110.820) near Bamla village in Bhiwani district of Haryana	0.337 kms	3.37 kms	100% of the base rates mentioned in Table- 1 above

*Details of structure having length more than 60m. is as under:

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km.)
	From km	To km		
1	129.503	129.590	ROB	0.087
2	129.730	129.980	Major Bridge	0.250
Total				0.337

4 The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from **the fee plaza is Rs. 285.00 (Rupees Two Hundred and Eighty-Five Only) for the year 2021-22** and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table – 5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table- 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 247.25 Crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cuttings etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost; the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH-12014/1470/2020/HR/Zone-II]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.